

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन सिंह भवन-रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 9/07/2011

क्रमांक एफ 6-1/2008/20-तीन :: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० एवं अन्य बो से संबद्धता के लिए विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 6-1/2008, 20-तीन दिनांक 14.01.2008 को अधिकमित करते हुये निम्नानुसार नीति निर्धारण किया जाता है :-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं उनका लाभ प्रदेश छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था व कार्यकारिणी में छ०ग० माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी व नामांकित किया जाये।
2. विभागीय अनापत्ति हेतु संस्था को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली (सी०बी०एस०सी०/आई०सी०एस०ई०) द्वारा प्रपत्र में समस्त आवश्यक अभिलेख सहित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० से सम्बद्धता उपरान्त संस्थाएं राज शासन द्वारा आयोजित स्काउट्स गाइड्स, रेडक्रास, एन०सी०सी० ए एन०एस०एस० की गतिविधियों में भाग लेंगी।
4. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकू कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों को गतिविधियों के लिये खेल मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करावेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाये।
5. इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
6. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबद्धता मिलने के उपरान्त भी छ०ग० राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने व लिये संस्था बाध्य होगी। पालन करने का वचन पत्र संस्था से प्राप्त किया जावेगा।
7. संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
8. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।

Principal

Ambuja Vidya Peeth

Vill.&Post-Rawan 493-331

Dist Beloda Bazar-Bhatanara (C.G.)


shakar.order


// 2 //

// 3 //

- (6) शांतिपूर्वक शैक्षणिक कार्य में व्यवधान डालते हुए सं  
प्रबंध समिति विवादग्रस्त है।
- (7) संस्था ऐसे कार्यों में लिप्त पायी जाती है जो शासन  
राय में अवैधानिक हों।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम  
तथा आदेशानुसार,


  
(एम.एन. राजूरकर)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा वि  



लोक शिक्षण संचलानालय  
छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक / विद्या / सी.बी.एस.ई. / 2013-14 / 440, रायपुर, दिनांक 10  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्री जी, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन  
रायपुर ।
2. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर ।
3. सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय  
महानदी भवन नया रायपुर ।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रविशंकर विश्वविद्यालय  
रायपुर ।
5. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़ ।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



संचालक  
लोक शिक्षण संचालनालय  
छत्तीसगढ़

  
Principal  
Ambuja Vidya Peeth  
VIII.&Post-Rawan 493-331  
Dist.Baloda Bazar-Bhatapar G.